—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 17/2015

उनवान

1. कालू उर्फ नारायण पुत्र नाथूलाल
2. बद्री पुत्र नाथूलाल
3. कमला पुत्री नाथूलाल
4. इन्द्रा पुत्री नाथूलाल
5. सुरता पत्नी नाथूलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र देवा
2. देवकरण
3. रामलाल
4. रामधन
5. विश्राम पि. सांवरा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
6. उप पंजीयक, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
8. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा तिहारी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
6 व 7 जरियें राज. पैराकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प. म. तिहारी में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1385	1—7—0	1675 मिन	0—2—0	1194	1.43
1386	6—0—0	1675 मिन	6—0—0		
1387	7—4—0	1675 मिन	1—15—0		
		1676 मिन	5—9—0	1195	1.00
1388	4—0—0	1676 मिन	0—14—0		

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 1387 रकबा 7—4—0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 294/806 लादू पुत्र सौनाथ के नाम खातेदारी दर्ज है। लादू पुत्र सौनाथ की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रार्थीगण ही है। चौसाला खसरा नम्बर 1387 रकबा 7—4—0 के नवीन खसरा नम्बर 1676 का रकबा 5—9—0 करते हुये 1—15—0 कम अंकन कर दिया तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 1194 रकबा 1.43 अप्रार्थीगण की खातेदारी व हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.00 प्रार्थीगण के खेत का रकबा 1—15—0 कम अंकन कर दियां, जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने व बैचान नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद में जवाब पेश किया व इस प्रकरण में जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.00 प्रार्थीगण व हाल खसरा नम्बर 1194 रकबा 1.43 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि चौसाला खसरा नम्बर 1387 रकबा 7—4—0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 294/806 लादू पुत्र सौनाथ के नाम खातेदारी दर्ज है। लादू पुत्र सौनाथ की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रार्थीगण ही है। चौसाला खसरा नम्बर 1387 रकबा 7—4—0 के नवीन खसरा नम्बर 1676 का रकबा 5—9—0 करते हुये 1—15—0 कम अंकन कर दिया तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 1194 रकबा 1.43 अप्रार्थीगण की खातेदारी व हाल खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.00 प्रार्थीगण के खेत का रकबा 1—15—0 कम अंकन कर दिया। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 1676 का रकबा 6—3—0 ही प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज था। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उनकी खातेदारी आराजी का रकबा कम कर दिया है किन्तु यह स्पष्ट नही किया है कि उनकी खातेदारी आराजी का रकबा किस की खातेदारी आराजी में मिला दिया गया है अप्रार्थीगण के नाम वंर्किग खसरा नम्बर 1675 रकबा 8—16—0 खातेदारी दर्ज था। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है अथवा नही का निर्धारण मूल वाद में

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1194 के खातेदार है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के अलग–अलग खातेदार है। खसरा नम्बर 1195 रकबा 1.00 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा हस्तांतरित नही किया जा सकता है। विषम परिस्थितियों के अतिरिक्त रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:49 IST
Reason: SelfAttested